>

Title : Issue regarding death penalty to 17 innocent Indians by the court in Sharjah.

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): अध्यक्ष महोदया, 30 मार्च 2010 को शारजाह की एक अदालत ने, 17 हिंदुस्तानियों को जिसमें से 16 पंजाब से हैं और एक हरियाणा से है, मौत की सजा सुनाई है।

उनका जुर्म है - एक व्यक्ति की तथाकथित हत्या। इससे बड़ी नाइंसाफी और कोई नहीं हो सकती है। इस घटना का जो सही सच है, वह यह है कि गरीब मजदूर सोए हुए थे, उन्हें उनके घरों से उठाया गया, प्रताड़ित किया गया, यातनाएं दी गई, टार्चर किया गया। उनमें से जो टूट गए, उनके बयान ले कर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। जिस मुकदमे में उन्हें न वकील दिया गया और न वे अरबी भाषा समझ पाए कि मुकदमे में क्या हो रहा है और उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। सबसे हैरत की बात यह है कि पन्द्रह महीने तक यह अदालती कार्यवाही चलती रही, लेकिन भारतीय दूतावास से कोई व्यक्ति उनके लिए पूछने भी नहीं गया कि उनका क्या हाल-चाल है।

मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अदालती कार्यवाही अपनी जगह चलती रहेगी, यह हिंदुस्तानियों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। खाड़ी के मुल्क में जो लाखों हिंदुस्तानी बसते हैं, उनमें आज असुरक्षा और आतंक का माहौल है। इस सदन से पूरी दुनिया में यह संदेश जाना चाहिए कि हम किसी भारतीय के साथ, चाहे वह किसी भी देश में रहता हो, उनके खिलाफ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इसके साथ-साथ भारत सरकार को कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर शारजाह की सरकार से बात करनी चाहिए और बेगुनाह लोगों को वापिस ले कर आना चाहिए। भारतीय दूतावास के अधिकारी, जिन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

MADAM SPEAKER: Those who want to associate themselves with him may send their names to the Table.

श्री शरद यादव : महोदय, मैं अपने को श्री मनीष तिवारी द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करता हूं।

MADAM SPEAKER: Shri Ravneet Singh and Shri Partap Singh Bajwa are associating with this matter. The rest of the matters will be taken up at the end of the day.

13.06 hrs

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

14.03 hrs.

The Lok Sabha reassembled after lunch at Three Minutes

past Fourteen of the Clock

(Mr.Deputy Speaker *in the Chair*)

â€¦(व्यवधान)